

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

पत्रांक:- 1325 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, अक्टूबर 27, 2016
सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजपुरा
पौड़ी (गढ़वाल)।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के नौलापुर-खेतु-केंदारगली-कोणागाड-घोडियाणा-
बीरोंखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु
लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No.
FP/UK/ROAD/16722/2015)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून की पत्र
सं0-1221/FP/UK/ROAD/16722/2015 दिनांक 20.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत प्रकरण
में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र
सं0-08वीं/यू.सी.पी./06/130/2016/एफ.सी./1131 दिनांक 19.10.2016 से कतिपय शर्तों के
तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र
सं0-596/3-5-2, दिनांक 19.08.2015 के क्रम में निर्धारित दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10
वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि, मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण व 10
वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको निम्न
प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है:-

1- क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि	-	2.43 X 2 = 4.86 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0	-	₹ 2,30,302.00
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि	-	4.86 X 2,30,302 = 11,19,267.72
		या ₹ 11,19,268.00

(₹ ग्यारह लाख उन्नीस हजार दो सौ अड़सठ) मात्र

2- मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि
का विवरण-

आरक्षित वन भूमि की लम्बाई	-	0.00 किमी0
वन पंचायत भूमि की लम्बाई	-	1.65 किमी0
सिविल सोयम वन भूमि की लम्बाई	-	1.05 किमी0
मोटर मार्ग की कुल लम्बाई	-	2.70 किमी0

मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की दर प्रति किमी0 - ₹ 3,45,312.00
मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि - 2.70 X 3,45,312.00
= ₹ 9,32,342.40
= ₹ 9,32,342.00

(₹ नौ लाख बत्तीस हजार तीन सौ बयालीस) मात्र

क्रमशः : 2 पर

(2)

3- एनपीवी की धनराशि का भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007-एनपीवी, दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार धनराशि का विवरण-

ईको क्लास	-	V th
हरियाली का घनत्व	-	0.2
एनपीवी की दर प्रति है०	-	₹ 6,57,000.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	2.43 है०
एनपीवी की धनराशि	-	2.43 X 6,57,000.00
		= ₹ 15,96,510.00

(र पन्द्रह लाख छियानबे हजार पांच सौ दस) मात्र

अतः उपरोक्तानुसार मदवार धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र) भा० व० से०
उप वन संरक्षक,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक

दिनांकित।

- 1-प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश चन्द्र) भा० व० से०
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।